

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 50 / 2014

संस्थापन दिनांक 29.01.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—सोनू उर्फ सर्वजीतसिंह पुत्र स्व० अजमेरसिंह तौमर,
उम्र 25 साल निवासी ग्राम तेहरा हाल स्टेशन रोड
वार्ड नं० 1 गोहद चौराहा जिला भिण्ड
2—डबू उर्फ कुलदीपसिंह पुत्र पूष्पू उर्फ रामऔतारसिंह
सिकरवार उम्र 22 साल निवासी ग्राम छीमका थाना
गोहद चौराहा जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 327 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.12.13 को 17:45 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर रोड स्थित फरियादी बृजेश अ०सा००१ की दुकान अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में फरियादी से शराब पीने के लिए पैसे उद्दापित करने के आशय व प्रयोजन से फरियादी की लात घूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.13 को 17:45 बजे फरियादी बृजेश अ०सा००१ की दुकान पर सोनू तौमर एवं पूष्पू उर्फ डबू उर्फ कुलदीप तौमर आये और उससे शराब के लिए रुपये मांगे जब उसने रुपये देने से मना कर दिया तो आरोपीगण ने उसे अश्लील गालियां दी और गिरेबान पकड़कर लात घूंसों से उसकी मारपीट की जिससे उसकी दुकान में रखा सामान

बिखर गया तब उसे योगेश व रिन्कू एवं उसके पिता ने बचाया। तत्पश्चात फरियादी बृजेश अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में अप0क0 283/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 11.12.13 को 17:45 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर रोड स्थित फरियादी बृजेश अ0सा01 की दुकान अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में फरियादी से शराब पीने के लिए पैसे उद्दापित करने के आशय व प्रयोजन से फरियादी की लात घुंसी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. बृजेश अ0सा01 ने कथन किया है कि उसकी कोल्ड्रिंक की दुकान है तीन वर्ष पूर्व पुरानी उधारी पर आरोपीगण से झगड़ा शाम के समय हो गया था केवल मुंहवाद और गाली गलौच हुई थी। पुलिस थाना पास में था इसलिए पुलिस स्वयं आ गयी और मौके पर लिखापट्टी पर उसके हस्ताक्षर कराये थे और उसे कुछ पढकर नहीं सुनाया। एफआईआर प्र0पी-1 व नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11.12.13 को आरोपीगण ने उसकी दुकान पर आकर शराब के लिए पैसे मांगे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने पैसे देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसकी मारपीट की और स्वतः कथन किया है कि केवल रिन्कू अ0सा02 मौके पर था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः फरियादी व आहत बृजेश अ0सा01 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
6. रिन्कू अ0सा02 ने कथन किया है कि वह बृजेश अ0सा01 की दुकान पर काम करता है जहां कुछ लोगों से तीन वर्ष पूर्व उधारी पर झगड़ा हो गया था फिर पुलिसवाले गश्त करते आ गये और आरोपीगण को पकड़कर ले गये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11.12.13 को आरोपीगण ने बृजेश अ0सा01 से शराब के लिए पैसे मांगे और न देने पर उसकी मारपीट की। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः बृजेश अ0सा01 के कथनानुसार एक मात्र प्रत्यक्ष साक्षी रिन्कू अ0सा02 ने ही आरोपीगण द्वारा उद्दापन कारित किए जाने से इंकार किया है।
7. अतः फरियादी बृजेश अ0सा01 व रिन्कू अ0सा02 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने उद्दापन कारित कर बृजेश अ0सा01 को उपहति कारित की। अतः उक्त दोनों महत्वपूर्ण

प्रत्यक्ष व आहत साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 11.12.13 को 17:45 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर रोड स्थित फरियादी बृजेश अ0सा01 की दुकान अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में फरियादी से शराब पीने के लिए पैसे उद्दापित करने के आशय व प्रयोजन से फरियादी की लात घूंसे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 327 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ढ घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0